

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2003

15567

का.आ. 1369(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा

35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 14 अगस्त, 2002 की अधिसूचना सं० सां० आ० 857 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने श्री अरबुवा सेवा संघ, डाकखाना भिलोडा, तालुका:भिलोडा, जिला साबरकान्था, गुजरात द्वारा गुजरात, साबरकान्था, भिलोडा में कला मंदिर भवन के निर्माण की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से आरम्भ होने वाले वर्ष से एक वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 1 पर विनिर्दिष्ट किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के एक वर्ष से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को दो वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अरबुवा सेवा संघ, डाकखाना भिलोडा, तालुका:भिलोडा, जिला साबरकान्था, गुजरात द्वारा चलाई जा रही गुजरात, साबरकान्था, भिलोडा में कला मंदिर भवन के निर्माण की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से दो वर्षों की आगे की अवधि के लिए केवल बारह लाख चौदह हजार रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।